न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी, के समक्ष

शांति देवी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

धरम पाल और अन्य-प्रतिवादी

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 278/1982

4 मई 1982

1976 के अधिनियम 104 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)- धारा 60 एवं आदेश 33 नियम 1–निर्धन व्यक्ति-का निर्धारण-डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति, मुकदमे की विषय वस्तु और मजदूरों और घरेलू नौकरों की मजदूरी- क्या न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए 'पर्याप्त साधन' का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में 1976 के संशोधित अधिनियम द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया है, वह यह है कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त साधन' की जो भी व्याख्या हो, इसमें डिक्री के निष्पादन में (i) संपत्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है जो कुर्की से मुक्त है, और (ii) मुकदमे की विषय वस्तु। दूसरे शब्दों में, आवेदक के पास जो संपत्ति है, वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह पता लगाने के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाना चाहिए कि क्या उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। धारा 60 प्रावधान (एच) के तहत, मजदूरों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे पैसे या वस्तु के रूप में देय हो, कुर्की के अधीन नहीं है। इसी तरह, पहले 400 रुपये की सीमा तक वेतन

और शेष का दो-तिहाई हिस्सा धारा 60, प्रावधान (i) के तहत एक साधारण डिक्री के निष्पादन में संलग्न नहीं किया जाना है और, इसलिए, यह निर्धारित करने में इन राशियों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि आवेदक के पास अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए 'पर्याप्त साधन' हैं या नहीं।

(पैरा 4)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री एन.एस. राव, जिला न्यायाधीश, करनाल के 8 जनवरी, 1982 के आदेश में संशोधन के लिए, जिसमें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आई.के.मेहता।
प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सी.बी.गोयल।

निर्णय

एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति (मौखिक)-

(1) चार याचिकाकर्ताओं ने श्री एन.एस. राव, जिला न्यायाधीश, करनाल के 8 जनवरी 1982 के आदेश को पुनरीक्षण में चुनौती दी है, जिसके तहत उन्होंने उन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

(2) जिन बुनियादी तथ्यों ने इस याचिका को जन्म दिया है वे ये हैं। धरम पाल प्रतिवादी ने 45 कनाल 4 मरला की कृषि भूमि के संबंध में बिक्री के समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा लाया, जिसका विवरण वादपत्र में पूरी तरह से दिया गया है। यह मुकदमा फूला के खिलाफ है। फूला की अब मृत्यु हो चुकी है और चार याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी धर्म पाल के अलावा अन्य प्रोफार्मा प्रतिवादी भी उनकी जगह ले चुके हैं। इस मुकदमे का फैसला ट्रायल कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 1980 को सुनाया था। व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की और गरीब व्यक्तियों के रूप में ऐसा करने की अनुमति मांगी क्योंकि उनके अनुसार उनके पास कानून द्वारा निर्धारित अदालती शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। गणना करने पर न्यायालय शुल्क रु. 6,970। विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह विचार किया कि चार याचिकाकर्ताओं में से, भीम, सुभाष और पूरन अपनी आजीविका कमाने वाले श्रमिक थे। चौथी याचिकाकर्ता, फूला की विधवा श्रीमती शांति के संबंध में, उन्होंने कहा कि वह एक सक्षम व्यक्ति थीं और ग्रामीण होने के नाते वह खेतों में काम कर रही होंगी। चूँकि चारों याचिकाकर्ताओं को अपनी आजीविका कमाने वाला माना गया, यह एक ऐसा कारक था जो यह मानने की ओर गया कि उनके पास अदालती शुल्क का भुगतान करने का साधन था। दूसरा कारक जो जिला न्यायाधीश के सामने था वह यह था कि वर्ष 1972 में, 45 कनाल 4 मरले की विवादित भूमि की कीमत रु. 5,000 लीज़ मनी के रूप में और चूंकि ज़मीन नहर और ट्यूबवेल से सिंचित थी, इसलिए इससे पर्याप्त आय हो रही थी। इन दो कारकों पर उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर अविश्वास किया और माना कि वे गरीब व्यक्ति नहीं थे और इसलिए उन्हें इस तरह अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस आदेश को चुनौती देने के लिए ही वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आई.के. मेहता ने विवादित आदेश की वैधता और औचित्य को इस आधार पर चुनौती दी कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने कहीं भी यह नहीं पाया कि याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान में रुपये का भुगतान करने का साधन है। कोर्ट फीस के रूप में 6,970 रुपये। उनके अनुसार, केवल यह तथ्य कि सभी याचिकाकर्ता सक्षम व्यक्ति थे और अपनी आजीविका कमा रहे थे, साथ ही यह भी कि भूमि कृषि आय के लिए उत्पादक थी, अकेले यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। उन्होंने न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा करके अपने तर्क का समर्थन करने की कोशिश की, जो आदेश 33, नागरिक प्रक्रिया संहिता के संशोधन से पहले के क्षेत्र में हैं, जो 1 फरवरी, 1977 को लागू हुआ था। मुझे नहीं लगता कि वे मिसालें इस याचिका के निर्णय के लिए बहुत उपयोगी होंगी। पर्याप्त रूप से, संयुक्ता बनाम प्रेम कुमार और अन्य के संदर्भ को आमंत्रित किया जा सकता है, जिसमें न्यायमूर्ति पी. सी. पंडित, ने माना था कि आदेश 33, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, देखने वाली बात यह है कि क्या आवेदक के पास पर्याप्त संपत्ति है जो उसे अदालती शुल्क का भुगतान करने में सक्षम कर सकती है, लेकिन क्या उसके पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त साधन हैं। यह भी देखा गया कि आवेदक के पास अपेक्षित राशि हो या न हो, लेकिन यदि वह किसी संपत्ति पर अपेक्षित धन जुटा सकता है तो उसे कंगाल नहीं माना जाएगा। वर्तमान आदेश 33 नियम 1 की व्याख्या करते समय विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क की यही पंक्ति है। पुराने और नये प्रावधान को एक साथ रखना उचित होगा।

1-2-1977 से पहले

आदेश XXXIII

पैपर्स द्वारा सूट

1. मुक़दमे प्युपेरिस के रूप में संस्थित किए जा सकते हैं-

निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन, कोई भी मुकदमा किसी गरीब द्वारा दायर किया जा सकता है। स्पष्टीकरण-कोई व्यक्ति तब "निर्धन" होता है जब उसके पास ऐसे पर्याप्त साधन नहीं होते हैं जिससे वह ऐसे मुकदमे में मुकदमे के लिए कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हो सके, या, जहां ऐसी कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, जब वह संपत्ति का हकदार नहीं है उसके आवश्यक पहनावे-परिधान और सूट की विषय-वस्तु के अलावा एक सौ रुपये का मूल्य था।

1-2-1977 के बाद

आदेश XXXIII

(निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा)

1. मुक़दमा कंगाली के रूप में संस्थित किया जा सकता है - निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन कोई भी मुक़दमा किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण I.-एक व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति है-

(ए) यदि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है (डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति और मुकदमे की विषय वस्तु के अलावा) ताकि वह ऐसे मुकदमे में वादपत्र के लिए कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हो सके, या

(बी) जहां ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं है, यदि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त संपत्ति और मुकदमे की विषय वस्तु के अलावा एक हजार रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण ॥ - कोई भी संपत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए अपने आवेदन की प्रस्तुति के बाद और आवेदन के निर्णय से पहले अर्जित की जाती है, इस सवाल पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाएगा कि आवेदक एक गरीब है या नहीं व्यक्ति।

स्पष्टीकरण ।॥-जहां वादी प्रतिनिधि हैसियत से मुकदमा करता है, वहां यह सवाल कि क्या वह एक गरीब व्यक्ति है, उस हैसियत से उसके पास मौजूद साधनों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

(4) जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया है वह यह है कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त साधन' की जो भी व्याख्या हो, इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है
(i) संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त है,
और, (ii) मुकदमे की विषय-वस्तु।

दूसरे शब्दों में, आवेदक के पास जो संपत्ति है और जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे यह पता लगाने के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा कि उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन हैं या नहीं। मौजूदा मामले में, फूला की विधवा श्रीमती शांति को कृषि क्षेत्रों में काम करने में सक्षम एक सक्षम व्यक्ति पाया गया है। पूर्व दृष्टया; धारा

60 परंतुक (एच) के तहत एक डिक्री के निष्पादन में उसकी कमाई को कुर्की से छूट दी जाएगी, जो कहती है कि मजदूरों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे पैसे या वस्तु के रूप में देय हो, कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता, सुभाष, उचाना झील, जिला करनाल में माली के रूप में काम करता है और उसे प्रति माह 400 रुपये वेतन मिलता है। यह आय भी, धारा 60 प्रावधान (i) के तहत कुर्की से मुक्त है, जिसमें प्रावधान है कि पहले 400 रुपये की सीमा तक वेतन और शेष का दो-तिहाई हिस्सा किसी सामान्य डिक्री के निष्पादन में संलग्न नहीं किया जाना है। इसी स्थिति में, याचिकाकर्ता पूरन के बारे में कहा जाता है कि वह करनाल में एक शेलर में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है और उसकी परिलब्धियां उपर्युक्त प्रावधान (एच) और (आई) के तहत कवर की जा सकती हैं। भीम, याचिकाकर्ता, के बारे में कहा गया है कि वह एक ड्राइवर और संभवतः एक वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में काम करता है, जो फिर से उपरोक्त प्रावधान (एच) और (आई) के दायरे में आता है। 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 का स्पष्टीकरण IV, यह स्पष्ट करता है कि एक मजदूर में एक कुशल, अकुशल या अर्ध-कुशल मजदूर शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को गरीब व्यक्तियों के रूप में न्याय करने के साधनों की गणना करते समय कानून के इन हितकारी प्रावधानों पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

(5) जहां तक भूमि से आय का मामला है, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि भूमि समृद्ध आय लाने में सक्षम हो। फिर भी, धारा 60, परंतुक (बी) कहती है कि कृषि उपज का एक हिस्सा, या कृषि उपज के किसी भी वर्ग का, जिसे अगले निम्नलिखित खंड के प्रावधानों के तहत दायित्व से मुक्त घोषित किया जा सकता है, कुर्की से मुक्त है। धारा 61, सिविल प्रक्रिया संहिता, राज्य सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है कि कृषि उपज का ऐसा हिस्सा, या कृषि उपज

का कोई भी वर्ग, जो राज्य सरकार को अगली फसल तक देय राशि प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो सकता है। भूमि की खेती और निर्णय-देनदार और उसके परिवार के समर्थन के लिए, सभी कृषकों या कृषकों के किसी भी वर्ग के मामले में, डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के दायित्व से छूट दी जाएगी। कोई भी वकील यह बताने की स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकार की इस तरह की कोई घोषणा है या नहीं। लेकिन इसकी भी जांच की जरूरत है और मामले के इस पहलू पर विद्वान जिला न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। यह भी देखना होगा कि यदि धारा 61, सी.पी.सी. के तहत परिकल्पित ऐसी कोई घोषणा की गई है, तो उप-खंड (बी) इस उद्देश्य के लिए कैसे प्रभावी होगा और इस संदर्भ में, धारा 60 के स्पष्टीकरण V और VI अप्रासंगिक नहीं होंगे, जो कृषकों को परिभाषित करते हैं और क्या याचिकाकर्ता इसके दायरे में आएंगे या नहीं।

(6) इस सवाल पर जाए बिना कि क्या संशोधन के मद्देनजर, संयुक्ता के मामले सहित विभिन्न निर्णयों द्वारा व्याख्या की गई 'पर्याप्त साधन' की अवधारणा को बदल दिया गया है या नहीं, इस याचिका का निर्णय केवल नियम 1, आदेश 33 में दिए गए अपवादों तक ही सीमित है। चूंकि विद्वान जिला न्यायाधीश को अब पहले की गई टिप्पणियों के आलोक में मामले की नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता होगी, इसलिए फिलहाल दूसरे पहलू पर ध्यान देना अनावश्यक होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां कही गई कोई भी बात, हालांकि, मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करेगी और इसमें किया गया कोई भी संदर्भ केवल मामले में शामिल कानूनी मुद्दों के लिए व्याख्यात्मक है।

(7) उपरोक्त कारणों से, इस याचिका को अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को विद्वान जिला न्यायाधीश, करनाल को वापस भेज दिया जाता है, जो कानून के अनुसार मामले पर पुनर्विचार करेंगे।

(8) पार्टियों को अपने वकील के माध्यम से 24 मई 1982 को जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh